श्री कुलदीप नारायण, जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 15.12.2012 को समाहरणालय सभागार में सम्पन्न विकास समन्वय तकनीकी पदाधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-

---

उपस्थितिः-

1. श्री कुलदीप नारायण, जिला पदाधिकारी, मुंगेर।
2. जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर।
3. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल-1, मुंगेर।
4. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल-2, मुंगेर।
5. कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ, मुंगेर।
6. कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर।
7. कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मुंगेर।
8. कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0, मुंगेर।
9. कार्यपालक अभियांत, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठ्न, मुंगेर।

बैठक में उपस्थित विभिन्न तकनीकी विभागों द्वारा जिले में कार्यान्वित विकासोन्मुखी योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गयी एवं सम्यक प्रगति हेतु निम्न निदेश दिये गये :-

पथ निर्माण विभाग :-

- मानगढ़-सिंधिया पथ :- विदित हो कि अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक 2299/गो0, दिनांक 10.12.2012 द्वारा कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मुंगेर एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल-2, मुंगेर से उक्त पथ को आवागमन हेतु सुविधाजनक एवं महत्वपूर्ण पथ मानते हुये स्थलीय निरीक्षण कर इसके अधिग्रहण/Status संबंधी मन्तव्यभारित प्रतिवेदन की मांग की गयी है, जिसकी कार्रवाई यथाशीघ्र पूर्ण करते हुये दिसम्बर माह के अन्त तक प्रतिवेदन उपलब्ध करने का निदेश दिया गया।
- धनपुरा पुल का भू-अर्जन :- समीक्षोपरान्त कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि उक्त पथ के सीमांकन के लिये तिथि निर्धारण की सूचना यथाशीध्र उपलग्ध कराया जाये ताकि जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुंगेर में पदस्थापित अमीन को नापी हेतु उक्त तिथि को प्रतिनियुक्त किया जा सके।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग :-

- कार्यपालक अभियंता ने बताया कि जिले में नगर विकास योजना के अलावे समीपवर्ती जिलों में बुडको (BUIDCO) द्वारा भी सिवरेज पाईप लाईन बिछाने का कार्य किया जा रहा है तथा मुंगेर जिला भी उनके कार्य क्षेत्र के लिये चिन्हित किया गया है। भविष्य में इस योजना में बुडको एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के आपसी समन्वय स्थापित नहीं होने से विस्मयकारी परिस्थिति एवं कार्य में कठिनाई की प्रबल संभावना हो सकती

है। अतएव कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि अविलम्ब इस आशय की विस्तृत सूचना अधोहस्ताक्षरी के स्तर से विभाग को भेजी जाये।

- एकीकृत कार्य योजना के तहत् नक्सल प्रभावित पंचायतों में चयनित कुल 131 आंगनबाड़ी केन्द्रों में चापाकल गाड़ने की स्थिति के संबंध में अवगत कराया गया कि वर्त्तमान में 57 केन्द्रों पर चापाकल अधिष्ठापन हेतु ग्रुपवार निविदा का प्रकाशन किया गया है जिसपर यथाशीघ्र ही कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा। कार्य को शीघ्रता से कराने एवं शेष कार्य के निविदा निष्पादन शीघ्र कराने का निदेश कार्यपालक अभियंता को दिया गया।

भवन निर्माण विभाग :-

- एकीकृत कार्य योजना अन्तर्गत वर्त्तमान में भवन प्रमंडल द्वारा कार्यान्वित योजनाओं, यथा- 11 पैक्स गोदाम का निर्माण, जिला स्कूल/आर0डी0 एंड डी0जे0 कॉलेज का भवन निर्माण, खड़गपुर नगर भवन, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के चहारदिवारी का निर्माण, कुष्ठ अस्पताल, एम0डब्लू0ई0 उच्च विद्यालय इत्यादि में कार्य प्रारंभ कर यथासमय पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।

ग्रामीण कार्य प्रमंडल-2 :-

मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना

- मुख्यमंत्री सेतू निर्माण योजना की संकलित समर्पित प्रतिवेदनानुसार क्रमांक 15, 17 एवं 19 पर क्रमशः बरियारपुर लोहा पुल के नजदीक पड़िया ग्राम उम्मी नदी पर स्क्रू पाईल पुल का निर्माण, खड़गपुर अन्तर्गत धुधलाडीह एवं ग्राम लौरिया के बीच आर0सी0सी0 कलवर्ट का निर्माण एवं ग्राम लौरिया के स्कूल के पास सती नदी पर आ0सी0सी0 कलवर्ट का निर्माण, जो वित्तीय वर्ष 2007-08 की योजना है जिसके संबंध में कार्यपालक अभियंता उक्त योजना की अद्यतन स्थिति बताने में पूर्णतः नाकाम रहे, जिससे स्पष्ट होता है कि वे अपने कर्त्तव्य का निर्वह्न किसी भी स्तर से नहीं कर पा रहे है एवं इससे उनकी स्पष्ट कार्य अक्षमता प्रदर्शित होती है।

- इसी प्रकार उपरोक्त सूची के क्रमांक 43 पर उल्लिखित धरहरा प्रखंडान्तर्गत ग्राम जसीडीह में मुख्य सड़क के पूर्व शंकर मंडल घर के पास पुलिया निर्माण के संबंध में कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि उक्त पथ के पहुँच पथ के संबंध में एक आवेदक ने अधीक्षण अभियंता को आवेदन दिया था जिनके निदेशानुसार मैंने उक्त पथ की स्थलीय जांच की एवं पाया कि उसकी निजी जमीन है एवं वास्तव में एक तरफ पहुँच पथ नहीं है। इस निमित्त कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि इस आशय का

विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त कर जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति रद्द करने हेतु संचिका यथाशीघ्र उपस्थापित करेंगे।

- इसके अतिरिक्त पूर्व बैठक में कब्रिस्तान घेराबन्दी जैसी महत्वपूर्ण योजना में दिये गये निदेश, जो अधोलिखित है, का अनुपालन किसी भी स्तर से कार्यपालक अभियंता द्वारा नहीं किये जाने की स्थिति से पूर्ववत् योजनाओं की प्रगति भी यथावत् बनी हुई है जो अत्यन्त खेदजनक है। इस निमित्त **पूर्व प्रदत्त निदेश को ही यथावत् रखा जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि आगामी बैठक के पूर्व प्रदत्त निदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया** जाये अन्यथा उच्चाधिकारी के निदेश की अवहेलना एवं कार्य में शिथिलता तथा लापरवाही बरतने की स्थिति में आपके विरूद्ध कठोरतम् कार्रवाई हेतु विभाग को प्रतिवेदित कर दिया जायेगा।

कब्रिस्तान घेराबन्दी :-

कब्रिस्तान घेराबन्दी योजना की कार्यकारी एजेन्सी ग्रामीण कार्य प्रमंडल-2 द्वारा कायान्वित चार योजनाओं की समीक्षा की गयी एवं निदेश दिया गया कि :-

- **सोझीघाट कब्रिस्तान की घेराबन्दी :-** उक्त योजना के संबंध में कार्य0 अभि0, ग्रामीण कार्य प्रमंडल-'2 ने बताया कि पिछ्ले कनीय अभियंता द्वारा कार्य किया गया था, किन्तु उक्त योजना से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन उनके पास उपलब्ध नहीं है। निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर स्वयं स्थल निरीक्षण कर अनुपालन प्रतिवेदन से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे।
- **सुदीन यादव गोदाम के सामने संदलपुर बड़ी मिर्जापुर, सदर, मुंगेर कब्रिस्तान की घेराबन्दी :-** उक्त योजना के सबंध में पाया गया कि इसके पूर्व कार्य0 अभि0 उक्त योजना से संबंधित प्रतिवेदन किसी बैठक में देने में समर्थ नहीं रहे हैं। आज कार्य0 अभि0 द्वारा बताया गया कि उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कार्य किया गया है। विभिन्न बैठको में बार-बार निदेश दिये जाने के बावजूद इस कब्रिस्तान का भी कार्य0 अभि0 द्वारा कोई निरीक्षण नहीं किया गया है एवं आज भी इसके बारे में भी जानकारी देने में असमर्थ हैं।
- **वलीपुर जमालपुर कब्रिस्तान की घेराबन्दी :-** उक्त योजना के सबंध में कार्य0 अभि0 द्वारा बताया गया कि सिराज अहमद, कनीय अभियंता द्वारा लगभग 2,00,000/- रू0 में से 1,38,000/- रू0 की नापी का कार्य कराया गया है। निदेश दिया गया कि उक्त योजना से संबंधित अद्यतन नापी कराकर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

- **धरहरा प्रखंड के बंगलवा पंचायत कब्रिस्तान की घेराबन्दी :-** उक्त योजना के सबंध में कार्य0 अभि0 द्वारा बताया गया कि उक्त योजना में कोई प्रगति नहीं हुई है। इसके संबंधित कनीय अभियंता, गजेन्द्र प्रसाद सिंह संभवतः जेल में है। पूर्व में कार्य0 अभि0 को उक्त योजना की जांच करने का निदेश दिया गया था, परन्तु आज की बैठक में उपस्थित सहायक अभियंता, टी0 के0 मिश्रा ने बताया कि योजना की जांच की गयी है। अतः निदेशित किया जाता है कि उक्त योजना की जांच प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाये।

विधायक/पार्षद योजना :-

- सांसद/विधायक/पार्षद योजना की समीक्षा के क्रम में समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि कमोबेश वही स्थिति अभी तक बनी हुयी है एवं ली गयी कुल 730 योजनाओं में 392 योजना अपूर्ण प्रतिवेदित हैं एवं अपूर्ण योजनाओं में सर्वाधिक 173 योजनायें स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन की है तथा 82 योजनायें ग्रामीण कार्य प्रमंडल-2 की है। यह खेदजनक है कि दिनांक 05.05.12 एवं दिनांक 21.07.12 को सम्पन्न बैठक में भी ग्रामीण कार्य प्रमंडल-2 द्वारा कोई प्रतिवेदन नहीं दिया गया है। परिलक्षित हुआ कि अभी तक अपूर्ण कुल 82 योजनायें पिछले दो साल पुरानी है। बैठक में मौखिक तौर पर उनके द्वारा यह बार-बार कहा जाता है कि योजनायें पूर्ण हो चुकी है, किन्तु पिछले दो माह में कोई प्रतिवेदन नहीं दिया गया है। अर्थात् यह कहने में अतिश्योक्ति नहीं होगी कि कार्य0 अभि0 द्वारा प्रतिवेदन न देकर सिर्फ मौखिक तौर पर गलत सूचना देने का प्रयास किया जा रहा है। अतः निदेश दिया जाता है कि अपूर्ण कुल 82 योजनाओं से संबंधित अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन आगामी बैठक के पूर्व समर्पित नहीं किये जाने पर यह समझा जायेगा कि उक्त योजनाओं में संभवतः अनियमितता को छुपाने की कोशिश की जा रही है। इस निमित्त सीधे तौर पर कार्य0 अभि0 को दोषी मानते हुए अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी।
- कार्यपालक अभियंता, ग्रमीण कार्य प्रमंडल-2, मुगेर को बार-बार निदेश दिये जाने के बाद भी कनीय अभियंता, श्री गजेन्द्र प्रसाद सिंह एवं सिराज अहम्मद द्वारा योजना में परिलक्षित अनियमितता के पश्चात् न तो उनके द्वारा की गयी गबन की राशि का आंकलन किया गया है और न ही राशि वसूली की कार्रवाई हेतु कोई नोटिस ही निर्गत किया गया है। यह संशय की स्थिति से उपर उठकर

स्पष्टतः इंगित करता है कि उक्त अनियमितता में कार्यपालक अभियंता की भी संलिप्तता है इसलिये अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। उपरोक्त के आलोक में कार्यपालक अभियंता को अंतिम रूप से चेतावनी देते हुये निदेश दिया जाता है कि उक्त दोनों कनीय अभियंताओं द्वारा किये गये कृत्य के विरूद्ध यथाशीघ्र अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें अन्यथा आगामी बैठक में इस पर विचार कर आपके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई हेतु विभाग को प्रतिवेदित कर दिया जायेगा।

स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन :-

- एकीकृत कार्य योजना अन्तर्गत जिले के विभिन्न पंचायतों में आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण की कार्यकारी एजेन्सी स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, मुंगेर को निदेश दिया गया कि जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण कार्य भूमि की अनुपलब्धता के कारण प्रारंभ नहीं किया जा सका है, वैसे केन्द्रों की स्थलीय फोटोग्राफ एवं सॉफ्ट कॉपी सी0डी0 सहित सूची जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर को उपलब्ध करायेंगे। तदनुसार जिला योजना पदाधिकारी उक्त सी0डी0 की मदद से एक समेकित प्रतिवेदन तैयार करेंगे।

तत्पश्चात् सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

Sd/- 12/01/13

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 60 /योजना, दिनांक 14.1.13

प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त, मुंगेर/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/ जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल/भवन प्रमंडल/ग्रामीण कार्य प्रमंडल-1/2/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन/स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन/विद्युत आपूर्ति प्रमंडल/ राष्ट्रीय उच्च पथ, मुगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुगेर को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड हेतु प्रेषित।

Sd/- 12/01/13

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 60 /योजना, दिनांक 14.1.13

प्रतिलिपि :- आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ।

Sd/- 12/01/13

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।